



डॉ. ब्रह्मदीप अणुने  
(अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)

ईरान और इजराइल के बीच गहरा अविश्वास और ऐतिहासिक शत्रुता है, जो सीधे सैन्य संघर्ष और छद्म युद्ध के रूप में सामने आ रही है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से, ईरान के इस्लामी शासन ने इजराइल को एक अवैध राज्य घोषित किया है और खुले तौर पर इसके विनाश की वकालत की है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और उसे रोकने के लिए सैन्य अभियान चलाता रहा है। ईरान की वर्तमान शासन व्यवस्था का आधार ही इजराइल-विरोध पर टिका है, जिससे कूटनीतिक संबंधों की बहाली बहुत मुश्किल है। वर्तमान परिस्थितियों में इन दोनों देशों के बीच मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि उनका अविश्वास वैचारिक, रणनीतिक और सैन्य स्तर पर बहुत गहरा है।

# ईरान युद्ध और भारत की गुप्त कूटनीति

कूटनीतिक रूप से यह माना जाता है कि जब दो देशों के बीच गहरा अविश्वास हो तो किसी तीसरे देश द्वारा मध्यस्थता करना एक कूटनीतिक गलती या जोखिम भरा कदम हो सकता है। ऐसे मामलों में तीसरा पक्ष अक्सर खुद फंस जाता है और तीसरे पक्ष को विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लग जाते हैं। तीसरा देश यदि किसी एक के करीब है, तो उसे निष्पक्ष नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान ईरान का नजदीकी है जबकि इजराइल से उसके कोई संबंध नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है कि जब तीसरा पक्ष दोनों से रणनीतिक संबंध रखता है, तो वह मध्यस्थता में अनिच्छुक हो सकता है क्योंकि यह उसके अपने हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत और पाकिस्तान की नीति में यही अंतर है जो ईरान अमेरिका संघर्ष के दौरान देखने को मिला।

मध्य-पूर्व में तीन सत्ता केंद्र हैं, अरब शक्तियां, इजराइल और ईरान। भारत के सभी के साथ घनिष्ठ और अच्छे संबंध हैं। इस वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर ने तेहरान की यात्रा की थी और ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारीजानी से मुलाकात की थी। इसके ठीक पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया था, जिसमें सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर ईरान की कार्रवाई की निंदा की गई थी। यह पूरा घटनाक्रम ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से जारी सैन्य धमकियों के बीच हुआ था। दरअसल भारत अपने रणनीतिक हितों को देखते हुए भू-राजनीतिक तनाव के बीच ईरान के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। भारत-ईरान संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण

हैं, जो मुख्य रूप से चाबहार बंदरगाह, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित हैं। ईरान भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जबकि अमेरिकी प्रतिबंध और भू-राजनीतिक चुनौतियां द्विपक्षीय व्यापार में बाधाएं बनी हुई हैं। अगस्त 2021 में काबुल पर निर्णायक नियंत्रण के बाद तालिबान सरकार के साथ सम्बन्ध बनाए रखने में ईरान अग्रणी देश था, भारत को इसका फायदा मिला और वर्तमान में भारत के तालिबान के साथ मजबूत रिश्ते हैं।

अरब और भारत के विदेश मंत्रियों की एक ऐतिहासिक बैठक 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह-अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। इस कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने सूझान में संघर्ष, समुद्री सुरक्षा पर असर डालने वाली यमन की स्थिति, लेबनान में अस्थिरता और लीबिया और सीरिया में चल रही राजनीतिक प्रक्रियाओं सहित अन्य क्षेत्रीय तनाव के बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों को समग्र रूप से देखने पर यह बात रेखांकित होती है कि भारत और अरब देशों का इस क्षेत्र में स्थिरता, शांति और समृद्धि की शक्तियों को मजबूत करने में साझा हित है। भारत-अरब सहयोग मंच ने ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्टार्टअप और नवाचार सहित नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत किया। वहीं प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों में भारत-अरब साझेदारी के लिए अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा



प्रस्तुत की और दोनों पक्षों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में अरब लीग द्वारा निर्भाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सराहना भी की थी।

भारत के अरब देशों के साथ संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से गहरे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों का आदान-प्रदान करते थे। भाषा और धर्म के ताने-बाने के माध्यम से साझा सांस्कृतिक विरासत इन ऐतिहासिक संबंधों को निरंतर मजबूती प्रदान करती है। लगभग नब्बे लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों के हित, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार इन संबंधों के प्रमुख स्तंभ हैं। खाड़ी

देशों में काम करने वाले ये भारतीय, भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा भेजते हैं तथा इस क्षेत्र की प्रगति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत अरब दुनिया के दो प्रमुख देशों सऊदी अरब और यूएई के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा, सुरक्षा और निवेश सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग साठ फीसदी तेल और पचास फीसदी से अधिक ऊर्जा अरब देशों से आयात करता है। सऊदी अरब और यूएई दोनों, भारत के बड़े व्यापारिक भागीदार देश हैं। सऊदी अरब ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है, जिसमें अपराधियों का प्रत्यर्पण भी शामिल है। भारत ने 2030 तक अरब जगत के साथ व्यापार को पांच सी मिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।

भारत का अधिकांश बाह्य व्यापार स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से होकर गुजरता है। ओमान और सऊदी अरब से लेकर मिस्र, सूडान और अन्य देशों में भारत का महत्वपूर्ण निवेश है। भारत-अरब व्यापार

अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के दौरान ईरान और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और अविश्वास गहरा गया है। अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी 2026 को ईरान पर शुरू किए गए संयुक्त हमलों के बाद, ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर जवाबी झेलन और मिसाइल हमले किए थे। सऊदी अरब और यूएई को यह चिंता सता रही है कि ईरान की आक्रामकता उनके देशों की स्थिरता के लिए खतरा है। इन हमलों के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों में फिर से खटास आ गई है। जबकि 2023 के बीजिंग समझौते से संबंधों में सुधार की उम्मीद जमी थी, खाड़ी देश अब ईरान के खिलाफ सक्रिय रक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने नागरिकों और बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए सैन्य जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रख रहे हैं। भारत की विदेश नीति उसकी भौगोलिक परिस्थितियों और 1947 में आजादी के बाद से चली आ रही कूटनीतिक परंपराओं पर आधारित है। भारत आमतौर पर किसी गुट में शामिल होने या खुले तौर पर किसी का पक्ष लेने से परहेज करता है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच अपनी स्थिति और हितों को मजबूत करने के उद्देश्य से इन देशों को अपनी नीति में लचीलापन बनाए रखना जरूरी है। ईरान अमेरिका के बीच युद्धविराम की घोषणा का स्वागत करते हुए संवाद से इस समस्या का हल ढूँढने की भारत की नसीहत, भारत की संतुलित और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का परिचायक है। इससे भारत के अरब शक्तियों, इजराइल और ईरान से संबंध मजबूत बने रहेंगे, चाहे भविष्य में इन देशों के आपसी सम्बन्ध कितने भी खराब दौर में प्रवेश क्यों न कर जाएं।

संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। कोविड महामारी और वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों के दौरान भी भारत और अरब जगत के बीच व्यापार में वृद्धि जारी रही। अरब देशों के साथ साझेदारी खाद्य एवं ऊर्जा, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा सहित स्टार्टअप और बड़े अवसरचना परियोजनाओं जैसे लगभग हर क्षेत्र में फैली हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 से 26 फरवरी 2026 को इजराइल की अपनी दूसरी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की थी। यह यात्रा 2017 के उनके पहले दौर के नौ साल बाद हुई और इससे दोनों देशों के बीच संबंधों को शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाया गया। भारत के लिए इजराइल एक अत्यंत

महत्वपूर्ण रणनीतिक, रक्षात्मक और तकनीकी साझेदार है, जो विशेष रूप से रक्षा आत्मनिर्भरता, कृषि, जल प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बिना किसी शर्त के सहायता प्रदान करता है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सह-उत्पादन और एआई, साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में साझेदारी भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत ने अरब जगत, ईरान और इजराइल के बीच तीव्र शत्रुता, भू-राजनीतिक तनाव और परस्पर विरोधी हितों के बावजूद तीनों पक्षों के साथ एक संतुलनकारी, व्यावहारिक और मजबूत संबंध बनाए रखे हैं। इस नीति को रणनीतिक स्वायत्तता कहा जाता है, जहां भारत किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तीनों से अलग-अलग संबंध रखता है।

## खेला होबे



रवि उपाध्याय  
(तेलक व्यापार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

देश को 21 वीं सदी में एक महत्वपूर्ण शब्द की उपलब्धि हासिल हुई है और वह शब्द है 'खेला होबे'। यह शब्द कोहिनूर हीरा जैसा मूल्यवान शब्द है। इसी शब्द का चमत्कार है कि हमारे देश और पूरी दुनिया में खेला हो रहा है। यह शब्द राष्ट्रीय वाक्य बन कर लोगों की जुबान पर चढ़ गया। खेला होबे - खेला होबे।

वैसे तो खेला होबे शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'खेल होगा' होता है। लेकिन सियासी दलों ने इस शब्द के साथ ही खेला कर इसका शब्द का अर्थ साजिश करना बना दिया है। यह शब्द एक घमकी भरा शब्द बन कर रह गया। 2026 के साल को यदि खेला होबे वर्ष कहा जाए तो कोई गलत बात या अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी तरह अभी तक की घटनाओं और परिदृश्य को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री के परम मित्र डोनल्ड ट्रंप को भले ही नोबल शांति सम्मान नहीं मिल सका हो पर यह अवश्य है कि उन्हें साल, 2026 का खेला पुरुष का सम्मान तो दिया ही जाना चाहिए। नोबल पीस प्राइज न मिलने से भनभनाए ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सपत्नीक उठवा लिया और वहां के तेल के कुँओं पर कब्जा कर लिया।

ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में इस आदमी जरूर तेल का कारोबार रहा होगा। शायद यही कारण है कि भाई को जहां भी तेल का भंडार नजर आता है ट्रंप पड़ता है। जैसे ही इस पर तेल चढ़ जाता है यह आदमी प्रसन्न हो जाता है। वैसे हमारे यहां भी शनि महाराज को भी तेल चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शनि देव का प्रकोप कम हो जाता है। यही हाल अमेरिका के इन शनि महाराज का है। जैसे ही इनको तेल का चढ़ावा मिल जाता है यह शांत हो जाते हैं। यह भी हो सकता है कि पिछले जन्म में यह व्यक्ति किसी श्राप से ग्रसित हो कर पिछले जन्म में कोल्हू से तेल निकालने का काम करता हो। शायद इसी का असर हो कि भाई को जहां तेल दिखता है वहां खेला कर देता है। शासकों के इतिहास में डोनल्ड ट्रंप एक मात्र ऐसे शासक हैं जो इतने अमन पसंद हैं कि जहां जिस देश में अमन होता है वहां पहले युद्ध करवाते हैं। इसके लिए दूसरे देश को हथियार देते हैं और अपने हथियार बेचने के बाद वहां फिर से शांति बहाल करवाने के लिए अपनी मिसाइलें और बमों का इस्तेमाल कर पीड़ित देश में शांति स्थापित करने का अभूतपूर्व महान काम करते हैं। वे किस देश के साथ कब खेला कर दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके गवाह ईरान सहित आधा दर्जन देश हैं जहां उन्होंने शांति के बीच अशांति और उस अशांति के बीच शांति स्थापित करवाने का महान काम किया है। झूठ की तो इतनी इंतहा है कि इस आदमी ने सच कब बोला होगा समझना ही नामुमकिन है।

खेला होबे का सिलसिला हमारे यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में शुरू किया था। इसकी झलक शुकवार को लोकसभा के विशेष सत्र में देखने को मिली जब महिला आरक्षण बिल के साथ खेला हो गया। यानि की विपक्ष के दलों ने एकता का अद्भुत प्रदर्शन कर एनडीए का गेम बजा डाला। वैसे भी हमारे देश के नेताओं को खेला करने में और खेल बिगाड़ने में महारत हासिल है। फिर चाहे वो सत्ताधारी दल के नेता हो या विपक्ष के ही नेता ही क्यों न हों। इस काम में जो आत्मवीर्य मुख मिलता है वह अवर्णीय है।

लोकसभा में एनडीए द्वारा पेश महिला आरक्षण बिल के साथ न केवल खेला किया बल्कि विपक्ष ने सत्ताधारी दलों का ही गेम बजा डाला। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सत्ताधारी दल इस बिल के बहाने विपक्ष के साथ खेला करना चाहता था या विपक्ष के दलों ने मिलजुल कर सत्ताधारी दल के साथ खेला कर डाला। पर इतना जरूर है कि दोनों की एक दूसरे के साथ खेला करने की साजिश के चलते दोनों ने मिल कर महिलाओं के साथ खेला कर दिया। 30 साल से महिलाओं के साथ यही खेला होता चला आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। महिलाओं के साथ ऐसे ही खींचतानी चलती रहेगी। खेला होता रहेगा।

## महिला आरक्षण बिल



मुकेश नायक

# सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति और राजीव गांधी की दूरदर्शी भूमिका

भारत में महिला आरक्षण बिल को एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह केवल एक विधायी सुधार नहीं, बल्कि लोकतंत्र में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक सामाजिक क्रांति है। इस पहल की जड़ें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उस मूल भावना में निहित हैं, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनभागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी।

ग्राम स्वराज की अवधारणा और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था—ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत—के माध्यम से लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा की गई। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। उनके इस प्रयास ने महिलाओं को पहली बार बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेतृत्व का अवसर प्रदान किया और ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी। बाद में इस दृष्टि को विभिन्न राज्यों में प्रभावी रूप से लागू किया गया। मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए महिलाओं की भागीदारी को वास्तविक रूप दिया। इस पहल ने हजारों महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान

अंततः, महिला आरक्षण बिल केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है। यह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार, महिला आरक्षण बिल भारतीय लोकतंत्र को नई दिशा देने वाला, महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने वाला और एक समतामूलक समाज की स्थापना की ओर अग्रसर करने वाला ऐतिहासिक कदम है—जिसकी नींव राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच और कांग्रेस की प्रतिबद्ध नीतियों में निहित है।

क्रांति और उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। वर्तमान में प्रस्तुत महिला आरक्षण बिल की मूल भावना और आधारशिला कांग्रेस की नीतियों में वर्षों पहले ही रखी जा चुकी थी। वर्ष 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व में राज्यसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया गया, हालांकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। यह दर्शाता है कि यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

भारतीय समाज में लंबे समय से पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव

रहा है, जिसमें महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा गया। आज भी भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 10 से 12 प्रतिशत के बीच है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में अत्यंत कम है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण एक आवश्यक और सम्योचित कदम है। महिला आरक्षण के लागू होने से लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी, जिससे नीति निर्माण में उनका दृष्टिकोण शामिल होगा। महिलाएं अपने अनुभवों के आधार पर महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगी। इससे नीतियां अधिक संवेदनशील, प्रभावी और समावेशी बनेंगी। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएगा और उन्हें समान अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

हालांकि, इस विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार आवश्यक है। विशेष रूप से ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना, तथा परिसीमन के संदर्भ में इसकी समयसमया स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि यह विधेयक परिसीमन के बाद लागू होता, तो इसकी प्रभावशीलता, प्रतिनिधित्व की सटीकता और सामाजिक संतुलन और अधिक सुदृढ़ हो सकता था।

## महिला आरक्षण विधेयक



लक्ष्मण सिंह  
पूर्व सांसद

# महिलाओं की राजनीति यथार्थ या राजनीतिक?

निया के प्रायः सभी देशों में 21वीं सदी में महिलाओं को उनका अधिकार दिया जा रहा है और वो शिक्षित हो रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी पहचान भी बना रही हैं। सैकड़ों वर्षों तक महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने से रोका गया और कई देशों में तो उन पर अत्यधिक अत्याचार भी हुए। प्राचीन भारत की अगर हम चर्चा करें, तो कई जातियों में पुरुष घर का कार्य करता था और बच्चों की देखभाल करता था और महिलाएं जीवन यापन और परिवार को चलाने का कार्य करती थीं। अफ्रीका में आज भी ऐसी जनजातियां हैं जिनमें महिलाएं परिवार की मुखिया हैं। कई वर्ष पूर्व भारतवर्ष में कई वर्षों तक महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी नहीं था और ये कार्य उनके माता-पिता या घर के बुजुर्ग करते थे। आज बहुत परिवर्तन हम देखते हैं, वे अपने जीवन के फैसले स्वयं ले रही हैं। उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है जिसके कारण आज भारत आगे बढ़ा है। इस विचारधारा को आगे बाते हुए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में दिया गया। परन्तु उनके चुने जाने के पश्चात भी कई पंचायतों और नगर पालिका/निगम में उनके पति उनके स्थान पर



बैठकों में जाते थे और निर्णय लेते थे, उनकी (महिलाओं की) आवश्यकता केवल हस्ताक्षर करने की होती थी। एक सर्वेक्षण के अनुसार जहां महिलाओं ने स्वतंत्रता से कार्य किया वहां ज्यादा विकास हुआ और जहां उनके पतियों ने इन संस्थाओं को चलाया महिलाओं के आगे होकर, वहां ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार, बलात्कार, बच्चियों का गायब हो जाना, अपहरण, शोषण की घटनाओं का बढ़ते हुए ग्राफ को रोकने हेतु 1996 में, मा. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में

के कारण महिलाओं पर अत्याचार का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। कल जब इस पर बहस हो रही थी तो सारे देश की महिलाएं आशा लगा कर बैठी थी कि यह बिल पास होगा तो महिलाएं अधिक सुरक्षित रहेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश, यह बिल 54 वोटों से पराजित हो गया और इसका पूरा दोष विपक्ष को दिया जा रहा है, जो काफी हद तक सही भी है क्योंकि उनके विरोध के कारण ही बिल पर वोटिंग करनी पड़ी थी परंतु मैं दोष सत्ता पक्ष का भी मानता हूँ, एनडीए एक अनुशासित पार्टियों का गठबंधन है, हम तो यही सुनते थे, फिर 54 वोट कम कैसे हो गए, सांसद अनुपस्थित क्यों थे? क्या सारा दोष विपक्ष पर मढ़ा जाए और चुनावों में उन्हें महिला विरोधी कह कर वोट लिए जाएं, सत्ता पक्ष यह चाहता था? महिलाओं की चलाया, उनके भविष्य को केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? इसका जवाब तो सत्ता पक्ष को भी देना होगा। मेरी देशवासियों से विनम्र प्रार्थना है कि हम सब मिलकर, जाति, धर्म की भावना से ऊपर उठकर, सामाजिक समरसता की भावना से एक शांतिपूर्ण आंदोलन करें और सभी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाए कि बिना किसी विलम्ब के, सर्वसम्मति से इस महत्वपूर्ण विधेयक को तत्काल दोनों सदनों में पारित कर महामहिम राष्ट्रपति को भेजें जिससे कि यह कानून बन सके और हम देश की महिलाओं को और अधिक सुरक्षित रख सकें।

धन्यवाद, जय हिन्द!!